प्र.सं. 59/2024 जीसीएमएस नं. 2024/89 अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट
ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. बनाम श्रीचन्द आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

06.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से ऋण लिया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति बैंक के पास बंधक रखी थी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि भुगतान का व्यतिक्रम करने पर अप्रार्थीगण के खाते को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के तहत साठ दिवस का नोटिस जरिए रजि. डाक प्रेषित किया गया, जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। ऋणि द्वारा धारा 13(2) के नोटिस पर कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं किया हैं ना ही बकाया राशि का भुगतान किया हैं। अतः अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में बैंक के पास बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी को पुलिस सहायता से दिलाए जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा रजि. रसीदें एवं रजि. डाक के ऑनलाईन ट्रेक रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी को आवेदन के साथ नौं(9) बिन्दुओं का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु के प्रति समाधान हो जाने के आधार पर कार्यवाही किया जाना होता हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ धारा 14 के तहत प्रस्तुत शपथ पत्र पूर्ण नहीं हैं।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत First Schedule List of Title Deeds में पट्टा गीता देवी के पक्ष में जारी होने का अंकन किया गया है तथा First Schedule List of Mortgagor में नाम गीता देवी अंकित हैं जबकि Second Schedule Description of Immovable Property में पट्टा सं. 280 का अंकन किया गया हैं जो कि प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रति पट्टा अनुसार पट्टा सं. 280 जोमा देवी के नाम से हैं। चूंकि जोमा देवी की सम्पत्ति पट्टा को गीता देवी द्वारा Mortgage नहीं किया जा सकता हैं, ऐसी स्थिति में सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी को नहीं दिलाया जा सकता।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 20[illegible] खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 06.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S.
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:22:59 IST
Reason: SelfAttested